न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 2012/40

1. जगदीश पुत्र जग्गा, जाति मीणा, निवासी – ग्राम निवारिया, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा मुखत्यार आम सायर पुत्र जगदीश, आयु 23 वर्ष, निवासी ग्राम सरणोली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश गुप्ता, जाति महाजन, निवासी प्लॉट नं. ए–27, अम्बाबाडी, विद्याधर नगर, जयपुर।
2. कुलवन्त कौर पत्नी श्री जी0एस0 चान्दना, जाति सिख, निवासी 317, आर्दश नगर, जयपुर।
3. रामकिशोर गुप्ता पुत्र श्री बद्रीनारायण गुप्ता, जाति महाजन, निवासी बी–142, जनता कॉलोनी, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगाने, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

5. मंगली बेवा लालचन्द
6. भंवर लाल
7. हनुमान पुत्रान् लालचन्द
8. बाबूलाल पुत्रान् लालचन्द

जाति मीणा, निवासी पालडी मीणा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा घोषणाधिकार एवम् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत्
खसरा नंबर 592 [illegible] 0.67 हैक्टेयर वाकै ग्राम
पालडी [illegible] तहसील सां[illegible] जयपुर।
प्रार्थना पत्र [illegible] 22 निमय 4 व प्रा[illegible] पत्र [illegible]
1 नियम 10 जा0दी0 [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश
7 नियम 11 सपठित धारा–1[illegible] जा0दी0

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निर्णय   दिनांक: 22.03.2021

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता दावा बाबत् दावा घोषणाधिकार एवम् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नंबर 532 रकबा 0.67 हैक्टेयर वाकै ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 20.04.2012 को पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 19.12.2012 को तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 18.09.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा–151 जा0दी0 पेश किया गया तथा वादी व अधिवक्ता वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 09.10.2019 को पेश किये गये। जिनका प्रतिवादीगण द्वारा जवाब व बहस पेश की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 1 नियम 10 व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की लिखित बहस दिनांक 10.03.2021 को पेश की गई। जिनकी प्रति प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा मौखिक व लिखित बहस तथा प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.03.2021 को मौखिक बहस की गई। उक्त चारो प्रार्थना पत्र बाबत् लिखित व मौखिक बहस अधिवक्तागण द्वारा की जा चुकी है इसलिए चारो प्रार्थना पत्रो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

विचाराधीन वाद में प्रार्थी जगदीश की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित है कि प्रार्थी ने वाद में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 को तरतीबी प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया है। प्रार्थी/वादी उक्त काल्पनिक व्यक्तियों (प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8) को नही जानता। प्रार्थी/वादी ने उक्त प्रतिवादीगण [illegible] रिकॉर्ड के आधार पर पक्षकार बनाया है, और [illegible] संख्या 5, 6 व 8 के नाम से कोई व्यक्ति [illegible] वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के विरूद्व कोई अनुतोष [illegible] माननीय न्यायालय से नहीं चाहा है। प्रार्थी/वादी को एक अन्य प्रकरण भंवर लाल बनाम हनुमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वगै. जो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर वाद संख्या 35/1988 के निर्णय दिनांक 27.01.1990 से ज्ञात हुआ कि भंवर लाल, बाबूलाल पुत्र भूरा, मंगली बेवा भूरा व हनुमान पुत्र लाल चन्द, धापा देवी पत्नी लालचंद जाति मीणा निवासी ग्राम जामडोली–बावडी, तहसील व जिला जयपुर के नाम से हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 7 के अलावा प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के नाम के कोई व्यक्ति अस्तित्व में नही है और केवल राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि के कारण उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गये है और रिकॉर्ड के आधार पर ही प्रार्थी/वादी ने उक्त व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार बनाया है, जिनका प्रकरण से कोई लेना देना नही है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 को किसी भी रूप से प्रकरण में सरोकार नहीं होने से उनका नाम डिलीट किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 के अलावा प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के नाम प्रकरण से डिलिट किये जाने के आदेश फरमावें तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अंकित है किया कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 7 का निधन दिनांक 04.12.2007 को हो गया और प्रतिवादी संख्या 7 उक्त प्रकरण में पक्षकार है, जिसके वारिसों को प्रतिवादी संख्या 7 के स्थान पर रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित बहस जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी पेश किया गया जिसमें अंकित है किया कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 को तरतीबी प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार तो बनाया गया है लेकिन वास्तविकता में वे विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार हैं जो घोषणा के वाद के लिये आवश्क पक्षकार हैं। प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही हो गई थी, जो स्वयं वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 के खण्ड 2 से स्पष्ट हैं, तथा वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2015 को धारा 151 इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 की मृत्यु हो चुकी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 से वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं इसलिए कायम मुकाम की कोई आवश्यक[illegible] जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को [illegible] दिया गया क्योंकि उक्त वाद घोषणा का वाद है और [illegible] का वाद में पक्षकार संयोजित होना आवश्यक हैं, तथा प्रतिवादी स[illegible] 5, 6 व 8 मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर ...ीय

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 7 व उसके चाहे गये वारिसान के नजदीकी परिवार के व्यक्ति है। जिनके कायम मुकाम बनाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष आज तक प्रस्तुत नही किया गया तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी सूरत में वाद पोषणीय नही हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 या उनके वारिसान् वाद के निस्तारण के लिये आवश्यक पक्षकार हैं बिना पक्षकार संयोजित किये वादी का वाद पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के विधिक वारिसान अस्तित्व में है। लेकिन वे जानबूझकर न्यायालय को मुगालते में रखकर उनके वारिसान को पक्षकार संयोजित नही करना चाहते, और बिना पक्षकार संयोजित किये हुये समस्त सहखातेदार काश्तकारों के घोषणा का वाद किसी भी सूरत में चलने योग्य नही हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 द्वारा दिनांक 06.05.1996 को जरिये इकरारनामा उक्त खसरा नंबर की भूमि में अपने हिस्से की भूमि का बेचान सोसायटी को किया गया है जिसकी प्रति पत्रावली में लिखित बहस के साथ पेश की है। वादी का वाद अपूर्ण व अस्पष्ट होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 7 हनुमान के वारिसान को मौजूदा परिस्थिति के अनुसार रिकॉर्ड पर नही लिया जा सकता क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 वादी द्वारा वाद दायर करने से पूर्व मर चुका था ऐसी स्थिति में वादी का वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है जो Nullity है। आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के प्रावधान दौराने वाद पक्षकार की मृत्यु होने पर कार्यवाही के संबंध में है जबकि हनुमान वाद दायरी से पूर्व ही मर चुका था ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 में वर्णित यह प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है और खारिज किये जाने योग्य है। आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए निर्धारित अवधि 90 दिवस है। 90 दिवस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही होने पर वाद स्वतः ही अबैट हो जाता है। अबैटमेन्ट को निरस्त करवाने हेतु अगले 60 दिन में न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 अबैटमेन्ट को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकार दौराने वाद मृत व्यक्ति के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र 150 दिन की अवधि में अबैटमेन्ट को निरस्त [illegible] प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हो सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] व्यतीत हो जाने के बाद भी काफी समय बाद [illegible] निरस्त कराने के संबंध में भी उसके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्र[illegible] नही किया गया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। चुंकि वाद 90 दिवस की अवधि के बाद स्वतः ही अबैट हो चुका है और वादी द्वारा अबैटमेन्ट निरस्त कराने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थना पत्र मय आपत्ति को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से Nullity घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत् वादी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित है किया कि ग्राम पालडी मीणा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के गत खसरा नंबर 359 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के पूर्व खातेदार श्योनाथ पुत्र छोटू मीणा थे। वादी के पिता जग्गाराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 5/6 खरीद किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 50 सन् 1970 में स्वीकार होने पर वादी के पिता जग्गाराम पुत्र हरजामीणा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे है उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी आज दिनांक तक आराजी पर काबिज काश्त रहे है वर्तमान बंदोबस्त में उक्त आराजी का खसरा नंबर 532 रकबा 0.67 है0 बना है वादी के पिता अनुसूचित जनजाति के सदस्य मीणा जाति से थे जिसकी बदहाली का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता वेदप्रकाश ने गुमराह कर मीणा जाति से ईसाई धर्म परिवर्तन कराकर चालाकी से अपनी पत्नी के नाम बेचान करा लिया। वादी के पिता मृत्यु तक मीणा जाति में रहे तथा रिश्ता नाता भी मीणा जाति में ही किया उक्त बेचान चालाकी से मीणा जाति से स्वर्ण जाति को हुआ है जो प्रारंभ से ही नल एण्ड वॉईड है एवम् वादी के विरूद्व प्रभावशून्य है एवं वास्तविक कब्जा वादी के पिता के पास ही है जो आज दिनांक तक कब्जे काश्त में है। प्रकरण संख्या 66/1976 धारा 175 की जो कार्यवाही हुई है उक्त एकतरफा हुई है जिसकी की जानकारी वादी को नही है जिससे वादी/अप्रार्थी के अधिकार समाप्त नही हुये है न ही प्रार्थी/प्रतिवादी को अधिकार दिये गये है वादी/अप्रार्थी कानूनन अपने अधिकार घोषित करवाने का अधिकारी है। भूमि आवंटन अधिकारी एडीएम तृतीय के द्वारा जो कार्यवाही की गई केवल मात्र कागजी कार्यवाही की गई है जिसकी जानकारी वादी को भी नही रही है वादी का उक्त विवादित भूमि पर आज भी कब्जा काश्त है। तहसीलदार सांगानेर कभी भी वादी की भूमि में मौका मुआयना के लिये नही गये बल्कि तहसीलदार व एडीएम तृतीय द्वारा कागजी कार्यवाही कराई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Scanned by CamScanner

गई है। वादी का कब्जा मौके पर आज भी है पूर्व में बैचान हस्तान्तरण व नामान्तकरण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 बी के प्रावधानो के विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही नल एण्ड वाईड है अप्रार्थी/वादी द्वारा दावा घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर सवैधानिक रूप से प्राप्त अपने हक व अधिकारो को उक्त वाद के माध्यम से मांग की है। उक्त विवादित आराजी भूमि कृषि भूमि है जिसके संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय में निहित है। अपनी बहस के समर्थन में वादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 1983 पेज 571, ए.आई.आर. 1987 पेज 56 एस.सी. तथा आर.आर.टी. 2018 (2) पेज नंबर 1178, आर.आर.टी. 2014–15 पेज 446, आर.आर.टी. 2013 पेज 633, आर.आर.डी. 2018 पेज 425, आर.आर.टी. 2019 पेज 264, आर.आर.टी. 2015 पेज 396 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी के वाद पत्र को किसी भी स्थिति में प्रारंभिक स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित नही है क्योकि वादी का वाद घोषणात्मक दुरूस्ती एवम् निषेधाज्ञा के नेचर का होने से मयाद बाधित नही है ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के अन्तर्गत नही होने से खारिज किये जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ताण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 20.04.2012 को प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 के खण्ड 2 में प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु दिनांक 04.12.2007 को होना अंकित किया है। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि वादी ने उक्त वाद मृत पक्षकार के विरूद्व प्रस्तुत किया है जो प्रारंभ से ही Nullity है। तथा वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् नाम हजफ किये जाने प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा 04.09.2019 को खारिज कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 की मृत्यु की जानकारी हो गई थी तथा पुनः 09.10.2019 को आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 नामक कोई व्यक्ति अस्तित्व न होने बाबत् प्रस्तुत किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि घोषणा के वाद के लिए प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार आवश्यक पक्षकार है इस संदर्भ में कानूनी नजीर आर. बी.जे. 1999 पेज 460 व आर.बी.जे. 1994 पेज 230 प्रस्तुत की गई। तथा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 के साथ न अबेटमेंट सेटसाईट की कोई प्रार्थना की है और न ही वादी द्वारा 5 लिमिटेशन अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी का वाद वाद Nullity व Vexatious

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

and frivolous होने खारिज किये जाने योग्य है। इस संदर्भ में दृष्टांत डीएनजे 2017 पेज 01 पेश किया गया। तथा विवादित आराजी को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की माता श्रीमती सत्यवती देवी पत्नी वेदप्रकाश गुप्ता के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1970 को जग्गा पुत्र हरजी जाति–ईसाई से क्रय किया है तथा उक्त क्रय करने की दिनांक को ही प्रार्थी/प्रतिवादी की माता जी ने उक्त आराजी का कब्जा विक्रेता से प्राप्त कर लिया जिसमें से 4 एअर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.12.1998 को करा दिया हैं जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज हैं शेष बाकी रहे हिस्से की भूमि पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 निरंतर काबिज काश्त है जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है। जग्गा पुत्र हरजी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था तथा ईसाई होने के आधार पर अपने नाम उक्त आराजी का नामांतकरण भी स्वयं ने तस्दीक करा लिया था तथा विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराते समय उपपंजीयक सांगानेर के समक्ष उपस्थित होकर ईसाई होने की स्वीकारोक्ती दी हैं जिससे यह स्पष्ट हैं कि जग्गा पुत्र हरजी ईसाई था तथा इसी आधार पर क्रेता के नाम नांतातरणकरण का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 की माता के नाम स्वीकार हुआ है वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। जग्गा पुत्र हरजी ईसाई था तथा जग्गा द्वारा ईसाई होने के आधार पर विभिन्न भूमियां हस्तांतरित की गई थी इस तथ्य को न्यायालय सब डिवीजर्नल ऑफिसर जयपुर ने जग्गा द्वारा बेचान की गई एक अन्य भूमि ख. नं. 79 मौजा विजयपुरा प्रकरण सं. 66/76 सरकार बनाम जग्गा, सुरेश कुमार कार्यवाही 175 आर.टी.एक्ट के निर्णय दिनांक 13.12.1976 में स्पष्ट अंकित किया हैं जग्गा द्वारा किया गया हस्तांतरण ईसाई द्वारा किया गया हस्तांतरण हैं और ईसाई अनुसूचित जाति अथवा जनजाति में नहीं आते। इससे यह स्पष्ट हैं कि वादी द्वारा वर्णित वाद का खण्ड–3 गलत वर्णित किया गया हैं तथा मीणा जाति के प्रावधान ईसाई पर लागू नहीं होते। विवादित आराजी को जग्गा द्वारा विक्रय किये जाने के पश्चात जग्गा या जग्गा के किसी परिवारजन का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा बिना कब्जे के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत घोषणा एवं निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। वादी/प्रार्थी का कब्जा तहसीलदार भूमि रूपांतरण द्वारा दिनांक 07.03.1972 दिनांक 29.09.1973 से स्पष्ट हैं तथा खसरा नंबर 532 थे बाबत् भूमि अवाप्ति अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अति कलेक्टर तृतीय जयपुर के नोटिस दिनांक 22.03.2008 से उक्त अवाप्ति की राशि के संदर्भ में दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट हैं कि उक्त आराजी पर वादी किसी भी स्वरूप में काबिज काश्त नहीं है वादी का वाद घोषणा कब्जे के अभाव में खारिज योग्य है। भूमि अवाप्ति अधिकारी अति कलेक्टर तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 01.02.2008 को तहसीलदार सांगानेर से खसरा नंबर 532 बाबत् प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 के हिस्से बाबत् व कब्जे के बाबत् रिपोर्ट तलब की गई उक्त रिपोर्ट में भी वादी का किसी हिस्से पर कब्जे बाबत् कोई वर्णन नहीं है जबकि प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 का रकबा तहसीलदार सांगानेर द्वारा मौका मुआना कर दुरूस्त किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि वादी विवादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा अथवा कब्जा काश्त नहीं है कब्जे के अनुतोष के अभाव में घोषणा का वादी पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है इस संदंर्भ में कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1004 पेश कि है तथा वादी उक्त वाद के माध्यम से उक्त आराजी के विक्रय पत्र को अवैध घोषित करा देना चाहता हैं जिसका की क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने योग्य हैं इस संदंर्भ में कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 81 पेश की है। इसलिए वादी का वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। घोषणात्मक वाद के लिए समस्त सहखातेदारों का उक्त वाद में बतौर पक्षकार संयोजित होना आवश्यक हैं समस्त सह खातेदारों के पक्षकार न होने के अभाव में वादी का वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। निम्न दृष्टांत प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये ए.आई.आर. 1977 उडीसा पेज 137, पंजाब एण्ड हरियाणा पेज 180, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 139, आर.आर.टी. 2016 पेज 1200, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1463, ए.आई.आर. 1989 राज. पेज 43।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का व लिखित बहस का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध वादी के प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद–पत्र मृत प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र धारा 151 बाबत् नाम हजफ प्रतिवादी 6 लगायत 8 प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। वादी का यह कथन निराधार है कि प्रतिवादी सं. 5, 6 व 8 के नाम से कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा इकरारनामा दिनांक 06.05.1996 की प्रति प्रस्तुत की गई तथा स्वयं वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 की बहस में भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 6 की पत्नी गोपी होना जाहिर कर रहा है जबकि वादी द्वारा प्रार्थना–पत्रों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का वाद घोषणा व निषेधाज्ञा का समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो वाद के खण्ड 5 व 8 से स्पष्ट है और वादीया का वाद कारण भी समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 15.03.2012 को उत्पन्न हुआ है जबकि प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु सन् 2007 में ही हो चुकी है इससे यह स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है तथा उक्त वाद घोषणा का वाद है और घोषणा के वाद के लिए समस्त सहखातेदार आवश्यक पक्षकार हैं। और न ही वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कब्जे का कोई अनुतोष चाहा है, वादी मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हुये विक्रय पत्र को उक्त वाद के माध्यम से अवैध घोषित करा देना चाहता है जिसका कि क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है वादी का वाद इस स्थिति में अपूर्ण व अस्पष्ट व तुच्छ है। अतः प्रतिवादीगण के प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के स्वीकार किया जाकर वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 1 नियम 10 खारिज किये जाकर वादी का वाद Nullity व Vexatious and frivolous होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner